


कार्यालय जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल
वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु कैन्टीन की नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय नई टिहरी में स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2024-2025 (दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक) की अवधि के लिए संचालन पर दिये जाने हेतु दिनांक 11.03.2024 को अपराह्न 4.15 बजे न्यायालय प्रांगण नई टिहरी में नीलामी/बोली की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित थी। किन्तु समिति के अध्यक्ष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय में उपस्थित न होने के कारण कैन्टीन को बोली/नीलामी के माध्यम से संचालन पर दिये जाने की कार्यवाही की जानी संभव नहीं है उक्त कैन्टीन को संचालन पर दिये जाने हेतु दिनांक ~~21/3/24~~ की तिथि नियत की जाती है। अतः इच्छुक बोलीदाता दिनांक ~~21/3/24~~ समय 04.15 बजे न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर उक्त कैन्टीन की नीलामी/बोली की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कैन्टीन की बोली हेतु न्यूनतम धनराशि मु0 64,000/- निर्धारित की गयी है, कैन्टीन की बोली हेतु उपस्थित बोलीदाता को न्यूनतम धनराशि से ऊपर की धनराशि से बोली प्रारम्भ करनी होगी। कैन्टीन को संचालन पर दिये जाने हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तें जिला जज टिहरी गढ़वाल की वेब साईट <https://tehrigarhwal.dcourts.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त सूचना को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किये जाने के साथ ही न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड किया जाय।


(बालकराम बासवान)
सदस्य/मुख्य कोषाधिकारी
टिहरी गढ़वाल


(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य/सीनियर सिविल जज
टिहरी गढ़वाल

जिला जजशिप टिहरी गढवाल में न्यायालय परिसर स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु बोली/नीलामी के माध्यम से संचालन पर दिये जाने हेतु निर्धारित शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या 08/2024 दिनांक 01.03.24 के अनुपालन में जिला जजशिप टिहरी गढवाल के नई टिहरी मुख्यालय स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए संचालन पर दिया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक 11.03.2024 को साँय 4:15 बजे न्यायालय प्रॉगण में उपस्थित होकर कैन्टीन की नीलामी/बोली में प्रतिभाग कर सकता है। कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए संचालन पर दिये जाने हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(1) कैन्टीन हेतु न्यूनतम दर का निर्धारण विगत वर्ष की अधिकतम बोली रू0 64,000/- निर्धारित की गयी है कैन्टीन की बोली में उपस्थित फर्म/वेन्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि से उपर बोली आरम्भ करनी होगी।


(2)-प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक वेन्डर को उक्त न्यूनतम बोली की एक चौथाई (1/4) धनराशि रू0 16,000/- को बतौर जमानत राशि जमा करनी होगी। यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली अधिक नहीं होगी तो उस स्थिति में जमानत की धनराशि वापस की जायेगी और अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की धनराशि जमानत में परिवर्तित की जायेगी।

(3)-नीलामी जिला न्यायाधीश की मँजूरी पर स्वीकृत होगी। नीलामी स्वीकृत होने पर ठेके की धनराशि 4 किशतों में जमा करनी होगी। जमानत की धनराशि नीलामी आरम्भ होने से पूर्व इस कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रथम किस्त निविदा के दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, दूसरी किशत दिनांक 01-07-2024, तीसरी किशत दिनांक 01-10-2024 तथा चौथी किशत दिनांक 01-01-2025 तक जमा करनी होगी। नियत तिथि तक किशत जमा न होने पर टेन्डर निरस्त किया जा सकता है तथा जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है। टेन्डर की अवधि समाप्त होने पर जमानत धनराशि वापस की जायेगी।

(4)-जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह नीलामी की शर्तों के अनुरूप एक बन्धनामा व एक स्थानीय तथा सम्मानित जमानत के साथ जिला न्यायाधीश के पक्ष में जमा करेगा, ऐसा न करने पर टेन्डर निरस्त किया जायेगा तथा पुनः टेन्डर किया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त की जायेगी।

(5)- प्रश्नगत कैन्टीन में किसी भी दशा में प्रतिबन्धित/नशीला पदार्थ तथा सड़ा गला खाद्य एवं पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जायेगी। खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छता के साथ विक्रय किया जायेगा तथा कैन्टीन में पालिथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही करते हुए जमानत राशि जब्त की जायेगी व शेष धनराशि, यदि कोई हो, की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।







(6)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह बोली स्वीकृत होने के पश्चात बन्धनामा भरने , जमानत देने एवं पहली किश्त अदा करने के बाद आदेश मिलने पर दुकान का काम शुरू करेगा ।


(7)–दुकान में कार्य शुरू करने पर उसे अलग से सफाई एवं कूड़ादान की व्यवस्था करनी होगी ।


(8)– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति पर यदि कोई अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित हो तो वह बोली नहीं बोल सकता है । इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जमानत देते समय प्रस्तुत करना होगा । जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वयं तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा नौकर , जिसका कोई आपराधिक इतिहास न हो , दुकान/रेस्टोरेंट पर बैठ सकता है ।


(9) जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा, भोजन बनाने वाली जगह एवं भोजन पकाने वाली जगह साफ सुथरी एवं कीचड़ रहित, गन्दगी रहित रखेगा एवं भोजन सामग्री पर किसी प्रकार के मक्खी, मच्छर, कीड़े-मकोड़े नहीं बैठे इस हेतु स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त कैंटीन की संविदा अवधि में शासन द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 से सम्बन्धित गाइडलाईन्स का पालन करना होगा।

(10)– जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह गुटका, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं करेगा।

(11)– जिला न्यायाधीश को बिना कारण बताये सबसे ऊँची बोली बोलने वाले की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।


(बालकराम बासवान)
सदस्य/मुख्य कोषाधिकारी
टिहरी गढवाल


(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य/सीनियर सिविल जज
टिहरी गढवाल


04-03-24
(विनोद कुमार बर्मन)
अध्यक्ष/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल।